परिशिष्ट

विषय :– राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05/07/2006 में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05/07/2006 को श्री ओ.पी. रावत, प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

उपस्थित सदस्य

1. श्री पी.के.दास, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश– सदस्य ।
2. श्री प्रवीण गर्ग, प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी. एवं एम.पी. ट्राइफेक– सदस्य सचिव ।

अनुपस्थित सदस्य

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि– सदस्य ।
2. उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश – सदस्य ।

उपस्थित आमंत्रित अधिकारीगण

1. श्री राजवर्धन श्रीवास्तव, कार्यकारी संचालक, एम.पी. ट्राइफेक, भोपाल ।
2. श्री एस.के. जैन, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर भोपाल ।
3. श्री व्ही.के. त्रिपाठी, अपर संचालक उद्योग संचालनालय, भोपाल ।
4. श्री सतीश पेंढारकर, महाप्रबंधक, एम.पी. ट्राइफेक, भोपाल ।

उत्पादन कैसे प्रारम्भ हो गया, इस तथ्य को स्पष्ट (क्लेरीफाई) करा लिया जावे तत्पश्चात ही इकाई के प्रकरण पर विचार किया जावे । इकाई के स्पष्टीकरण की पुष्टि महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं वाणिज्यिक कर विभाग के स्थानीय अधिकारी से कराई जावे ।

(ii)समिति को अवगत कराया गया कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मालनपुर द्वारा योजना के नियमानुसार, योजनान्तर्गत स्थिर आस्तियों के मान्य/अमान्य पूँजी वेष्ठन की जानकारी, इकाई के मूल बिल / व्हाउचर्स /लेखा पुस्तिकाएं आदि से सत्यापित कर प्रेषित नहीं की गई है । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर द्वारा पूँजी वेष्ठन की जानकारी इकाई के मूल अभिलेखों से सत्यापित कर प्रेषित की जावे ।

(iii)समिति के ध्यान में यह तथ्य भी लाया गया कि इकाई मेसर्स वी.आर.एस. फूड्स लिमि. ने इस योजना में ' अण्डर प्रोटेस्ट ' सशर्त विकल्प दिया गया है । शीर्ष स्तरीय (Apex Level) निवेश संवर्द्धन साधिकार समिति द्वारा इकाई को मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना तथा ब्याज अनुदान योजना, पात्रतानुसार देने हेतु, ज्ञापन क्रमांक एफ– 16–12/04/बी–ग्यारह / 264 दिनांक 1 दिसम्बर – 2004 से स्वीकृति प्रदान की गई है । टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना नियम के अन्तर्गत म.प्र. शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्र. एफ–20/25/05/बी/ ग्यारह भोपाल दिनांक 07.07.2005 से जारी अपात्र उद्योगों की सूची में यह उल्लेखित है कि किसी पात्र औद्योगिक इकाई को उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना के साथ टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ तो प्राप्त हो सकता है, किन्तु ऐसी इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 की पात्रता नहीं रहेगी । अतः जिस इकाई द्वारा ब्याज अनुदान योजना का विकल्प लिया जायेगा उस इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना की पात्रता नहीं होगी । समिति द्वारा इस पर निर्णय लिया गया कि शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति (Apex Level) की आगामी बैठक में यह प्रकरण लाया जाकर, शासन के उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 1 दिसम्बर 2004 में इकाई को स्वीकृत ब्याज अनुदान सुविधा, पर पुर्नविचार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे ।

6. एजेण्डा क्रमांक – 6 में इकाई मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड(यूनिट क्र. 2) ग्राम सेजवाया तहसील घाटा विल्लौद जिला धार का वर्ष 2004–05 का प्रथम वर्ष. का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योंग केन्द्र धार द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर आस्तियों में

मान्य पूँजी निवेश रूपये 98,97,19,000 (अट्ठानवे करोड़ सत्तानवे लाख उन्नीस हजार मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई । इकाई द्वारा वर्ष 2004–05 में जमा मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रयकर की कुल जमा राशि रू0 1,20,62,906.00 के 75 प्रतिशत की पात्रता अनुसार कुल सहायता राशि रू0 90,47,180.00(शब्दों में रूपयेनब्बे लाख सेतालीस हजार एक सौ अस्सी मात्र) समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृत की गयी ।

7. एजेण्डा क्र. 7 में इकाई मेसर्स पारले एग्रो प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला रायसेन का मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना –2004 के अन्तर्गत पंजीयन प्रकरण प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में चर्चा में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश शासन, पुरानी बन्द इकाईयों को कय कर /अन्तरण या स्थानान्तरण करा कर, पुनः संचालित करने पर, कय कर्ता को विशेष सुविधाएं दे रही है । इस कारण मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना – 2004 के अन्तर्गत जारी अपात्र उद्योगों की सूची में क्र. 46 पर दर्शित "मध्य प्रदेश राज्य के भीतर विद्यमान किसी इकाई का अन्तरण, स्थानान्तरण, उद्ध्वंसन करके या बन्द करके स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाई " आइटम को विलोपित किया जावे । इस हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जावे । इस विलोपित करने की कार्यवाही पश्चात इस इकाई का पंजीयन किया जा सकेगा ।

8. म.प्र.उद्योग निवेश सवंर्धन सहायता योजना – 2004 के लिए बजट आवंटन के संदर्भ में चर्चा में अवगत कराया गया कि इस योजना के लिय वर्ष 2005–06 के लिए रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) का प्रावधान किया गया था । वर्ष 2006–07 के लिए केवल रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख) का आवंटन उपलब्ध है । इसका आहरण होना शेष है ।

ट्रायफेक में निवेश संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्रक्रियाधीन प्रकरणों को देखते हुए इस वर्ष रू0 20.00 करोड़ (रूपये बीस करोड़) की बजट आवंटन की मांग की गयी है । चर्चा में निर्णय लिया गया कि उद्योग संचालनालय द्वारा रू0 20.00 करोड़ की राशि वर्ष 2006–07 के लिए उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

सभी उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई ।

(प्रमुख सचिव वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति द्वारा अनुमोदित)

(प्रवीण गर्ग)
प्रबन्ध संचालक
एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट

विषय :– राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 19.10.2006 में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 19.10.2006 को श्री ओ. पी. रावत, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

<u>उपस्थित सदस्य</u>

1. श्री सुमित बोस, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, – सदस्य
2. श्री पी.के. दास, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश – सदस्य
3. श्री एम.गोपाल रेड्डी, उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश – सदस्य
4. श्री प्रवीण गर्ग, प्रबन्ध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी. एवं एम.पी. ट्रायफेक – सदस्य सचिव

<u>उपस्थित अन्य अधिकारीगण</u>

5. श्री व्ही.के. त्रिपाठी, अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, भोपाल ।
6. डा0 एस.एस.के नायडू, उप संचालक, उद्योग संचालनालय, भोपाल ।
7. श्री सतीश पेंढ़ारकर, महाप्रबन्धक, एम.पी.ट्रायफेक, भोपाल ।
8. श्री अरविन्द विश्वरूप, प्रबन्धक, एम.पी. ट्रायफेक, भोपाल ।